राजस्थान सरकार

निदेशालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।

क्रमांकः–प.(वि.) प्रशासन / निकाशि / सम्पर्क / 2020 / 975 दिनांकः– 05 अगस्त 2020

परिपत्र

विषयः–राजस्थान सम्पर्क–पोर्टल पर विभागीय स्तर–I व II के पदाधिकारी द्वारा स्वयं की Activated SSO–ID से त्वरित परिवेदना–निस्तारण कार्यवाही सुनिश्चित करने बाबत।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत मुख्यमंत्री–हैल्पलाईन (181) / सम्पर्क–पोर्टल पर प्राप्त परिवेदनाओं के सतत् सुचारू विभागीय–क्रियान्वयन हेतु निम्न दिशा–निर्देश तुरन्त प्रभाव से जारी किये जाते हैं:–

1. प्रत्येक महाविद्यालय स्तर–I से प्राचार्य व्यक्तिशः निजी Activated SSO–ID (16 अंक) से परिवेदना–निस्तारण समयबद्ध रूप से करें।
2. विभागीय स्तर–II से सहायक–निदेशक अपने क्षेत्रीय–कार्यालय से संबंधित समस्त महाविद्यालयों के स्तर–I पर प्रदर्शित परिवेदनाओं का निधारित समयावधि–पूर्व गहनता से विश्लेषण करें और निस्तारण–कार्यवाही सम्पादित करवाने हेतु नियमित मॉनिटरिंग करें।
3. सहायक–निदेशक, क्षेत्रीय–कार्यालय अपनी SSO–ID से ही, स्तर–II पर प्राप्त शिकायत के विषय, प्रार्थी के संवाद व पूर्व कार्यवाही–प्रक्रिया विवरण का सूक्ष्म परीक्षण करें। निष्पादन पूर्ण करने हेतु यथासंभव संबंधित प्राचार्य व प्रार्थी से सहजतापूर्वक दूरभाष वार्ता कर स्पष्ट ऑनलाईन–प्रत्युत्तर इन्द्राज करें।
4. सम्पर्क–पोर्टल के विभागीय–डैशबोर्ड पर अनिवार्यतः एक SSO–ID केवल एक बार ही मैप होगी। विभागीय–डैशबोर्ड पर किसी भी स्तर की Mapping **(ऑनलाईन–उपस्थिति) में बदलाव कराने हेतु रीमैपिंग** की अद्यतन–कार्यवाही अविलम्ब सुनिश्चित करावें।
5. रीमैपिंग की अद्यतन–कार्यवाही निदेशालय के प्रशासन–अनुभाग द्वारा पदाधिकारी की Activated SSO–ID प्राप्त होने पर ही सम्पन्न होगी। अतः परिवर्तन कराने हेतु दि0 15.08.2020 से पूर्व cmhelplinecolledu@gmail.com पर Activated SSO–ID सहित सम्पूर्ण विवरण प्रेषित करें।
6. आवश्यकता होने पर, स्वयं की SSO–ID का Activation निम्नानुसार करें:–

1. SSO-ID अपने पासवर्ड से Log-in करें। 2. Update/ Edit Profile पर क्लिक करें। 3. पूरी Profile Check करें।	4. निजी ईमेल व मोबाईल नम्बर feed करें। 5. Link करने हेतु आपके निजी ईमेल पर आये OTP को Submit करें।

7. ज्ञातव्य रहे कि प्राचार्य–पद रिक्त होने पर कार्यवाहक–प्राचार्य द्वारा महाविद्यालय के सम्पर्क–पोर्टल पर निस्तारण–कार्यवाही संचालित होगी।
8. सेवानिवृत होने वाले प्राचार्यों का कार्यभार–निर्वहन जिन वरिष्ठतम अधिकारी द्वारा किया जावेगा, उनका व्यक्तिशः दायित्व है कि अपनी SSO–ID (स्वयं द्वारा Activated तदुपरांत निदेशालय द्वारा Re-Mapped) से नियमित ऑनलाईन–कार्यवाही सम्पन्न करें।
9. किसी भी स्तर पर परिवदनाओं के निस्तारण में विलम्ब होने की स्थिति में संबंधित अधिकारियों को जिम्मेदार मानते हुए उनसे स्पष्टीकरण मांगा जावेगा।
10. लम्बित प्रकरणों की संख्या न्यूनतम स्थिति में लाने हेतु नियमानुसार व समाधानपूर्वक परिवेदना–निस्तारण–प्रक्रिया को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें।

उक्त दिशा–निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करें।

(संदेश नायक, IAS)
निदेशक, कॉलेज शिक्षा
राजस्थान, जयपुर ।

क्रमांक–प.(वि)प्रशा0 / निकाशि / सम्पर्क / 2020 / 975 दि0:– 05.08.2020

प्रतिलिपि – निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1– समस्त प्राचार्यगण, राजकीय महाविद्यालय / विधि महाविद्यालय / कन्या महाविद्यालय / राज0 स्कूल ऑफ आर्ट्स / राज0 संगीत संस्थान, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर। (सम्पर्क–पोर्टल पर विभागीय स्तर–I)

2– सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, कॉलेज शिक्षा, जयपुर / कोटा / जोधपुर / अजमेर / बीकानेर / उदयपुर / भरतपुर। (सम्पर्क–पोर्टल पर विभागीय स्तर– II)

3– वेबसाईट प्रभारी, निदेशालय, कॉलेज शिक्षा, जयपुर को अपलोड करवाने हेतु ।

संयुक्त निदेशक (प्रशासन)
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।